राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

(तृतीय तल, आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर)

फोन नं.0141-2227011, 2227416, फैक्स -0141-2227723

क्रमांक : F 12 (6) RGAVP/2012 /777-839. **दिनांक :–** 30.1.12.

जिला परियोजना प्रबन्धक
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
समस्त

विषय :– **आमुखीकरण / प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संदर्भ व्यक्तियों के पैनल तैयार करने हेतु मार्गदर्शी दिशा–निर्देश।**

परियोजना अधीन स्वयं सहायता समूहों, उत्थान संस्थानों, क्षेत्रीय फैडरेशन, कम्यूनिटी कैडर, सहयोगी विभाग आदि स्टेक होल्डरस् के आमुखीकरण एवं क्षमता निर्माण से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम परिषद् द्वारा कराये जाने है। विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में परिषद् के कार्मिकों को रिसोर्स पर्सनस् के रूप में विकसित करने को प्राथमिकता दी जावेंगी। परन्तु विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों, विभागीय कार्यक्रमों / योजनाओं की जानकारी देने, लक्षित समुदाय एवं समूह निर्माण तथा उसके उत्तरोत्तर कार्य–कलापों / गतिविधियों के मध्यनजर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों हेतु अन्य संदर्भ व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी। इसके लिये राज्य एवं जिला स्तर में उपलब्ध अन्य व्यक्तियों को भी संदर्भ व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) के रूप में काम में लिया जा सकेगा। इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के लिये दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. संदर्भ व्यक्ति को सम्बन्धित विषय का व्यवहारिक ज्ञान, सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव एवं उसके समुदाय में पहुंच तथा सम्प्रेषण कौशल होना चाहिए।
2. उस व्यक्ति में प्रभावी सम्प्रेषण क्षमता एवं कौशल हो।
3. संदर्भ व्यक्तियों की पहचान हेतु प्रस्ताव भी आमंत्रित किये जा सकेंगे।
4. संदर्भ व्यक्ति किसी गैर सरकारी संगठन, राजकीय / अर्द्धराजकीय उपक्रम, निजी संस्थान, सामुदायिक संस्थान अथवा व्यैक्तिक (Individual) हो सकेगा / सकेगी।
5. सभी जिला परियोजना प्रबन्धक कार्यालय में संदर्भ व्यक्तियों का विषयवार पैनल तैयार कर संधारित किया जावेगा, जिसका समय–समय पर अद्यतन (Updation) किया जावेगा। इस पैनल में परिषद् के कार्मिक जो कि संदर्भ व्यक्ति के रूप में चिन्हित है, शामिल किया जाना चाहिए।
6. चिन्हित किये गये संदर्भ व्यक्तियों का आवश्यकतानुसार परिषद् द्वारा समय–समय पर आमुखीकरण / प्रशिक्षण (ToT) किया जावेगा।

7. परिषद् द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, इमरसन, आदि में इन संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जावेगा।
8. प्रशिक्षण उपरान्त संदर्भ व्यक्तियों द्वारा दिये गये व्याख्यानों/प्रशिक्षणों पर प्रशिक्षणार्थियों से फीडबैक लिया जावेगा। संदर्भ व्यक्तियों के पैनल Updation में इस फीडबैक को भी आधार माना जावेगा। परिषद् के कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
9. प्रशिक्षण (ToT) में संदर्भ व्यक्तियों के भाग लेने पर उन्हें, परिषद् के कार्मिकों को छोड़कर, आने–जाने का वास्तविक किराया एवं मानदेय (एक व्याख्यान के एनटाईटलमेंट के बराबर) आदि देय होगा।
10. इन संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए मानदेय परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दिया जावेगा।
11. जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा चिन्हित किये गये संदर्भ व्यक्तियों के पैनल तथा अद्यतन की सूचना राज्य परियोजना इकाई को भिजवायी जावेगी।
12. राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर भी संदर्भ व्यक्तियों का अलग से पैनल तैयार कर संधारित किया जावेगा। इसके लिए स्टेट मिशन डायरेक्टर का अनुमोदन आवश्यक होगा। पैनल का समय–समय पर अद्यतन किया जावेगा।
13. इसके साथ–साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार मेहमान वक्ताओं (Guest Speakers) को भी आमंत्रित किया जावेगा। इसके लिए पैनल की आवश्यकता नही होगी।

(पी.सी.किशन) आई.ए.एस.
स्टेट मिशन डायरेक्टर

क्रमांक : F 12 (6) RGAVP/2012 /777-839 **दिनांक** :– 30.1.13.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
3. जिला कलेक्टर, समस्त
4. परियोजना निदेशक (लाईवलीहुड/स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजना/एम एण्ड ई) मुख्यालय
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
6. महाप्रबन्धक/विशेषज्ञ/प्रबन्धक, मुख्यालय समस्त

स्टेट मिशन डायरेक्टर